नीलामी सूचना वर्ष 2024–2025

वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा, प्रतापगढ़ नवीन परिसर।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा, प्रतापगढ़ के नवीन परिसर की कैन्टीन, फोटो स्टेट की दूकान, साइकिल स्टैण्ड की नीलामी स्थान वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा स्थित परिसर, प्रतापगढ़ में दिनांक 06.04.2024 को समय 04.30 बजे अपरान्ह होगी। समस्त इच्छुक लोग जो नीलामी में बोली बोलना चाहते हों, वह निश्चित तिथि व समय पर उपस्थित होकर नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. नीलामी में बोली हेतु कैन्टीन की न्यूनतम धनराशि मु0 30,000.00 रूपये, फोटो स्टेट मशीन के सन्दर्भ में बोली की न्यूनतम धनराशि मु0 40,000.00 रूपये एवं साइकिल स्टैण्ड के सन्दर्भ में बोली की न्यूनतम धनराशि मु0 15,000.00 रूपये नियत की गई है। बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए **5000/– रूपये** सिक्योरिटी के रूप में बोली बोले जाने से पूर्व जमा करना होगा। दिनांक 03.04.2024 तक जिस व्यक्ति का सिक्योरिटी धनराशि जमा होगी वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकता है।

2. जिस व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक धनराशि की बोली बोली जायेगी, उसे कुल धनराशि की 1/3 भाग अग्रिम के रूप में तुरन्त जमा करना होगी।

3. नीलामी की समस्त धनराशि नीलामी होने के पश्चात् प्रतिष्ठान/दूकान प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करना होगा।

4. अन्तिम किस्त अग्रिम के रूप में ली गई धनराशि जो शुरू में जमा करायी जायेगी, समाहित कर ली जायेगी।

5. जिस व्यक्ति को दूकान नहीं मिल पायेगी, उन्हें उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

6. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दूकान व साइकिल स्टैण्ड के भौतिक स्वरूप को बिना किसी पूर्व अनुमति के परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

7. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दूकान व साइकिल स्टैण्ड में लगे विद्युत संयोजन व उसके बिल का खर्चा ठेका लेने वाले के द्वारा देय होगा।

8. न्यायालय परिसर में किसी भी अखाद्य पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान एवं मसाला इत्यादि का विक्रय नहीं किया जायेगा।

9. न्यायालय परिसर में घूम–घूम कर खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों का विक्रय नहीं किया जायेगा।

10. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दूकान व साइकिल स्टैण्ड चलाने के फलस्वरूप न्यायलय परिसर में फेली गंदगी की सफाई समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

11. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दूकान व साइकिल स्टैण्ड चलाते समय यदि उसने कार्यरत स्टाफ के साथ कोई दुर्घटना कारित होती है, तो संचालक उसका स्वयं उत्तरदायी होगा तथा न्यायिक संस्थान की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

12. खाद्य पदार्थ की बिक्री उचित दर पर की जायेगी।

13. यदि कैन्टीन, फोटो स्टेट की दूकान व साइकिल स्टैण्ड के संचालन के कार्यो से कैन्टीन के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी भरपाई संचालक द्वारा न्यायालय प्रतिष्ठान को की जायेगी।

14. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दूकान व साइकिल स्टैण्ड चलाने की चलाने की संविदा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर ठेका रद्द किया जा सकता है।

15. ठेका 31 मार्च 2025 तक प्रवर्तनीय रहेगा, जो नीलामी की तिथि से प्रारम्भ होगा।

16. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंखन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेका धारक द्वारा शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर ठेका निरस्त करके या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसकी सम्पत्ति से कर देंगे।

17. नीलामी के शर्त एवं प्रतिबन्ध माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हो।

ह0	ह0	ह0
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष, नीलामी कमेटी
सुनीता सिंह नागौर	**कुंदन किशोर**	**आलोक द्विवेदी**
अपर जिला जज कक्ष सं0 03	अपर जिला जज कक्ष सं0 06	विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
प्रतापगढ़।	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि जिला न्यायालय प्रतापगढ़ की वेब साइट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तहसील प्रांगण, दीवानी न्यायालय के मेन गेट पर, बाजार में, नजारत कुण्डा एवं नजारत प्रतापगढ़, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय में सूचनार्थ चस्पा की जाए तथा निःशुल्क प्रकाशन हेतु अखबार को भेजी जाए।